

पत्र संख्या—वैट / विधि—1(1)परिपत्र भाग—2—(09—10)—205 / 0910018 / वाणिज्य कर।
कार्याल कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: जून 04 ,2009

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

अधिसूचना संख्या—क0नि0—2—260 / ग्यारह—9(295) / 07—उ0प्र0अधि0—5—2008—वैट नियमावली—08—आदेश—(40)—2009 दिनांक 30—1—09 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 में संशोधन करते हुए कर निर्धारण वर्ष 2007—08 का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 मार्च, 2009 निर्धारित की गयी है। मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि परिस्थितिजन्य कारणों से नियत तिथि तक करदाताओं द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारक अधिकारी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि 90 दिन तक बढ़ा सकते हैं। कमिशनर वाणिज्य कर को नियमावली के नियम 4 के उपनियम (5) के अन्तर्गत कर निर्धारक अधिकारी के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। अतः नियमावली के नियम 4 के उपनियम (5) में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए करदाताओं से बिना प्रार्थनापत्र प्राप्त किये ही कर निर्धारण वर्ष 2007—08 का वार्षिक रिटर्न (फार्म 26) दाखिल करने की अन्तिम तिथि 31—3—09 की सीमा को 90 दिन तक बढ़ाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

कृपया तदनुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें।

ह0 /—
(अनिल संत)
कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1— संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन सचिवालय, लखनऊ को उनके पत्र सं0—क0नि0—2—1222 / ग्यारह—2009 दि0 01—06—09 के संदर्भ में।
 - 2— समस्त एडीशनल कमिशनर / ज्वाइन्ट कमिशनर वाणिज्य कर, मुख्यालय।
 - 3— समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उ0प्र0।

ह0 /—
(वाई0 एस0 सिंह)
ज्वाइन्ट कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।